UPFR010023142026

Criminal Misc. Cases/ 1107/2026 Amritpur

Chhaviram Singh Vs. Sintu and others

न्यायालय विशेष न्यायाधीश द०प्र०क्षे०, तृतीय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, फर्रूखाबाद।

उपस्थितः– शैलेन्द्र सचान ––एच०जे०एस० J O Code No– UP 2406

फौजदारी प्रकीर्ण वाद संख्या– 1107/2026

छबिराम प्रति सिन्टू आदि।

17.06.2026

पत्रावली पेश हुयी। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) BNSS पर सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया।

संक्षेप में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4)BNSS के कथन इस प्रकार है कि प्रार्थी छविराम सिंह पुत्र कश्मीर सिंह निवासी नगला धनी थाना अमृतपुर जनपद फर्रुखाबाद का मूल निवासी है दिनांक–23.04.2026 को डीजल लेने पेट्रोलपम्प ढाई टंकी पर गया था जैसे ही प्रार्थी ढाई बाजार में पहुंचा तभी गांव के ही सिंटू, पप्पू व केशपाल पुत्रगण रामवीर, मुकेश पुत्र रामवीर आदि लोगों ने प्रार्थी को रोका और मां–बहन की गन्दी –गन्दी गाली–गलौज करने लगे तो प्रार्थी ने विरोध किया इतने में सभी लोग एकराय होकर अपने साथ में लाठी डण्डे लिये हुये थे और प्रार्थी को मारने–पीटने लगे जिस कारण प्रार्थी को गंभीर चोटें आयीं। जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट उसके भाई पोथीराम ने थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहाँपुर में एफ०आई०आर० पंजीकृत करायी जिसका अपराध सं0–72/2026 है, जिससे प्रार्थी के शरीर में गंभीर चोटें आयीं प्रार्थी की तबियत खराब हो गई थी। जिसको इलाज हेतु तुरन्त सी०एच०सी० जरियनपुर में भर्ती कराया गया था, परन्तु तबियत में सुधार न होने पर प्रार्थी को रामप्रसाद बिस्मिल हॉस्पिटल एम्बुलेन्स द्वारा शाहजहाँपुर ले जाया गया। रामप्रसाद बिस्मिल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने मुझे परामर्श दिया कि तुम्हें सैफई रिफर करना पड़ेगा तब प्रार्थी ने अपने पुत्र देवेश को फोन किया कि उसकी

Digitally signed by SHAILENDRA SACHAN
Date: 2026.06.17 17:18:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

तबियत ठीक नहीं है। वह इलाज हेतु सैफई जाएगा। प्रार्थी के पुत्र ने पिता जी से कहा पैसे नहीं हैं तो पिता जी ने कहा उसकी एक सोने की जंजीर सुनार के पास गिरवी रख दो तब प्रार्थी ने दिनांक–26.04.2026 को शिव प्रिया ज्वैलर्स के यहां अमृतपुर सुनार की दुकान पर जंजीर गिरवी 40,000/– रूपये में रख दी। प्रार्थी का पुत्र पैसा लेकर अपने घर जा रहा था। जैसे ही प्रार्थी का पुत्र खुशहाली नगला पुलिया के पास पहुंचा तो सड़क के दोनों तरफ सिंटू, पप्पू, रामवीर व केशपाल पुत्रगण रामवीर आदि लोग पहले से घात लगाये बैठे थे, तो उपरोक्त विपक्षीगण लोगों ने प्रार्थी के पुत्र की मोटरसाइकिल रूकवायी और प्रार्थी के पुत्र की मोटरसाइकिल में लात मारकर मोटरसाइकिल गिरा दी प्रार्थी के पुत्र से कहा साले तेरे घर वालों ने मुझ पर मुकदमा लिखवाया है जिस कारण वह उसे जान से मार देगा, इतने में उपरोक्त विपक्षीगण लोग हाथापाई प्रार्थी के पुत्र के साथ करने लगे और जेब में रखे 40,000/– रूपये लूट लिये। तब तक गांव के आस–पास के 2–3 लोग आ गये जिनको देखकर विपक्षीगण मौके से फरार हो गये। प्रार्थी का पुत्र हैरान व परेशान होकर अपने घर गया घटना की सारी बात घर वालों को बतायी प्रार्थी ने घटित घटना के सम्बन्ध में एक शिकायती प्रार्थना–पत्र थाना अमृतपुर लेकर गया। प्रार्थी का शिकायती प्रार्थना–पत्र वहां नहीं लिया गया। उसके बाद प्रार्थी ने दिनांक–27.04.2026 आई०जी०आर०एस० पोर्टल के माध्यम से मुख्यमंत्री को दिया जिस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। तब प्रार्थी दिनांक–23.05.2026 को उपरोक्त घटना से सम्बन्धित प्रार्थना–पत्र श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय फतेहगढ़ जनपद फर्रुखाबाद को रजिस्टर्ड डाक से दिया जिस पर कोई कार्यवाही न होने पर प्रार्थी मजबूर होकर माननीय न्यायालय में रिपोर्ट दर्ज कराये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर रहा है। प्रार्थना है कि थानाध्यक्ष थाना अमृतपुर को आदेशित करें कि वह प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज कर विधिवत विवेचना करें

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वंय का शपथ पत्र, पुलिस अधीक्षक को दिए गए प्रार्थना पत्र की प्रति व रजिस्ट्री रसीद, स्वंय के आधार कार्ड की छाया प्रति दाखिल व अन्य प्रपत्र दाखिल किये गये है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के प्रकाश में थाने से आख्या आहूत की गयी। थाने से प्राप्त आख्या होकर पत्रावली में संलग्न है।

सुना एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया ।

प्रार्थी छबिराम द्वारा स्वंय के प्रार्थऩा पत्र में विपक्षीगण पर यह आरोप लगाया गया है कि उनके विरूद्ध उसके द्वारा थाना मिर्जापुर जिला शाहजहांपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी गयी जिसका मु०अ०स० 72/2026 है। मुकदमा दर्ज कराये जाने से नाराज होकर विपक्षीगण द्वारा दिनांक 26.04.26 को उसके पुत्र देवेश से 40000/–रु०लूट लिये गये तथा उसके पुत्र के साथ हाथापाई की गयी। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट नही किया गया है कि चार विपक्षीगण में से किस के द्वारा उसके बेटे की जेब से 40000/–रु०निकाले गये है सामान्य रुप से सभी विपक्षीगण द्वारा लूट किया जाना कहा गया है । प्रार्थी द्वारा घटना को दो तीन लोगो द्वारा देखा जाना बताया गया है किन्तु उनके नाम नही बताये गये है। प्रार्थी द्वारा शिवप्रिया ज्वैलर्स के यहां सोने की जंजीर गिरवी रखकर 40000/–रु० लिये जाना बताया गया है तथा अपने प्रार्थना पत्र के साथ शिव प्रिया ज्वैलर्स की रफ स्टीमेट की फोटो प्रति दाखिल की गयी है उक्त रफ स्टीमेट से यह स्पष्ट नहीं होता है कि प्रार्थी के पुत्र देवेश द्वारा शिवप्रिया ज्वैलर्स के यहां से जंजीर खरीदी गयी अथवा जंजीर गरवी रखी गया थी। प्रार्थना पत्र के साथ शिव प्रिया ज्वैलर्स की पक्की रसीद दाखिल नही की गयी है । प्रार्थी के पुत्र देवेश के घटना में किसी प्रकार की चोटे नही आयी है । थाने की रिपोर्ट के अनुसार जांच करने पर लूट पाट की घटना होना नही पाया गया है। थाने की रिपोर्ट के अनुसार विपक्षीगण के साथ खेत मे जाने के रस्ते को लेकर विवाद चल रहा था, जिसको लेकर BNSS की धारा125/135 की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है । प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध मारपीट के संबंध में पूर्व में ही थाना मिर्जापुर जिला शांहजहांपुर में मुकदमा लिखाया गया है अब, झूठी घटना के आधार पर लूट के संबंध में एक अन्य मुकदमा लिखाना चाहता है ।

प्रार्थी के पुत्र के किसी प्रकार की चोटे न आना , प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य खेत में जाने के रास्ते को लेकर विवाद होना तथा उक्त तथ्य का उल्लेख प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में न किया जाना , प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध दिनांक 23.04.26 को थाना मिर्जापुर जिला शाहजहांपुर में मुकदमा दर्ज कराया जाने , प्रार्थी के पुत्र देवेश के जेब से किसके द्वारा 40000/–रु० निकाले गये यह स्पष्ट नहीं किया जाना , घटना को गांव के आस–पास के 2–3 लोग द्वारा देखा जाना किन्तु उनके नाम प्रार्थऩा पत्र में अंकित न किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत

प्रकरण में लूटपाट जैसी कोई घटना नही हुई है । प्रार्थना पत्र में दर्शाया गया कथानक झूठा एवं मनगंढन्त होने के कारण किसी प्रकार का संज्ञेय अपराध कारित किया जाना परिलक्षित नही होता है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 173(4) BNSS निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत 173(4)BNSS प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। प्रत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार दाखिल दफ्तर हो।

(शैलेन्द्र सचान)
विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र/
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, फर्रूखाबाद।